

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:- प.2(2)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक

3 JUN 2019

-:अधिसूचना:-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार एतद्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(6)न्याय/1974 दिनांक 14.08.1974 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमाएँ, निम्नावुसार पुनः नियत करती है:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	जिला	क्षेत्रीय अधिकारिता की पुनरीक्षित सीमाएँ/क्षेत्राधिकार
1.	सिविल न्यायाधीश (उत्तर), कोटा	कोटा	नगर निगम कोटा के वार्ड संख्या 1 से 16 तक का क्षेत्र
2.	सिविल न्यायाधीश (दक्षिण), कोटा	कोटा	नगर निगम, कोटा के वार्ड संख्या 17 से 32 तक का क्षेत्र
3.	अपर सिविल न्यायाधीश (उत्तर), संख्या 1, कोटा	कोटा	नगर निगम कोटा के वार्ड संख्या 33 से 48 तक का क्षेत्र
4.	अपर सिविल न्यायाधीश (दक्षिण), संख्या 1, कोटा	कोटा	नगर निगम अजमेर के वार्ड संख्या 49 से 60 तक का क्षेत्र तथा तहसील लाडपुरा कोटा (नगर निगम के वार्डों की परिसीमा को छोड़कर तहसील लाडपुरा के अन्य समस्त ग्राम)

राज्यपाल के आदेश से,

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No.Gen/II/07/07/ 756

Dated: 05/07/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. District & Sessions Judges, Kota.
3. Chief Judicial Magistrate, Kota.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ Statistics/ R.J.S. (Isst.)/ S.C (Estt.)/ Budget/ Building Section and Computer Cell with a direction to upload the same on High Court website.

05.7.19
REGISTRAR (RULES)